

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- बरदह

दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 23.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी घर पर अकेली थी कि रात में अभियुक्त संतोष पुत्र शिवराम निवासी ग्राम बहोपुर थाना बिरनू जनपद गाजीपुर वादिनी के घर में घुसकर दुष्कर्म किया तथा परिवारिक जनों को बताने की बात पर जान से मारने की घमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 211/24 धारा 376(3) 452,504,506 भादवि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक बरदह अखिलेश कुमार मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष पुत्र शिवराम निवासी ग्राम बहोपुर थाना बिरनू जनपद गाजीपुर को मुड़हर मोड़ से समय करीब 07:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- संतोष पुत्र शिवराम निवासी ग्राम बहोपुर थाना बिरनू जनपद गाजीपुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 211/24 धारा 376(3) 452,504,506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SHO अखिलेश कुमार मौर्य, का0 आशुतोष कुमार, का0 राजेन्द्र कुशवाहा, का0 सतिभान सिंह, म0आ0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार; 02 मोबाइल फोन व 1000/- रुपये बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 25.06.2024 को वादिनी मुकदमा कलवन्ती देवी पत्नी मुन्नू प्रसाद ग्राम सम्मोपुर आयमा थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी का लड़का अविनाश कुमार जो आये दिन शराब व गांजा के नशे मे अलग अलग जगहो पर चोरी करता रहता है, दिनांक 22/06/2024 को कमरे की दिवार तोड़कर कर घर मे रखा हुआ 02 मोबाइल फोन व 02 हजार रुपये तथा गेहू चावल चोरी कर लिया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 183/2024 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 26.06.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश पुत्र मुन्नू प्रसाद निवासी सम्मोपुर आयमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को बेलइसा मण्डी से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 02 मल्टिमिडिया मोबाईल व 1000 रुपया बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 183/2024 धारा 380/411 भादवि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- विनाश पुत्र मुन्नू प्रसाद निवासी सम्मोपुर आयमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 गोपाल जी, का0 धीरज पटेल, म0 का0 संयोगिता थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर

मंदिर से चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; 01 कट्टा, 02 जिन्दा कारतूस.315 बोर, 02 मोबाइल फोन, 1110/- रुपये

बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 20.06.2024 को वादी मुकदमा अवधेश दास पुजारी निवासी बाबा भगवती दास आश्रम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 18.06.2024 को 1.ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र स्व0 सोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 2. लाल बाबा पुत्र सुन्दर यादव निवासी अज्ञात जनपद आजमगढ़,

3. कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने राम जनकी मन्दिर से पर चांदी का 02 मुकुट, दान पेटी, वादी का मोबाइल फोन, चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 340/2024 धारा 382, 383, 457 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26.06.2024 को उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोरमऊ से अभियुक्त राधेश्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ को 01 कट्टा, 02 जिन्दा कारतुस.315 बोर, 02 मोबाइल फोन, 1110/- रुपये के साथ समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 360/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- राधेश्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी- 01 कट्टा, 02 जिन्दा कारतुस.315 बोर, 02 मोबाइल फोन, 1110/- रुपये

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 360/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

राधेश्याम मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	360/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2	340/2024	382/383/457/411 भा0द0वि0	फूलपुर	आजमगढ़
3	358/2024	379,411 भा0द0वि0	फूलपुर	आजमगढ़
4	263/2024	380/411 भादवि0	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, का0 नीरज कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्षान" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना फूलपुर: हत्या एवं छेड़खानी के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 07.02.2017 को वादी मुकदमा ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी मनबोध पुत्र श्यामलाल निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने वादी की भाभी के साथ छेड़खानी किया और उनके द्वारा मना करने पर अभियुक्त ने उनकी हत्या कर दी ।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 76/2017 धारा 302, 452, 354 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 26.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनबोध पुत्र श्यामलाल निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए **आजीवन कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय का रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ सभागार में आयोजन किया गया विदाई समारोह

- ➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली स्थानान्तरण होने के पश्चात आज दिनांक 26.06.2024 को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया ।
- ➡ इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल एवं समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी व अन्य अधि0/कर्म0गण मौजूद रहे ।
- ➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा विदाई समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर विदाई किया गया ।